



केंद्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
 Tel.: 011-2695168, 8860748880
 Email- mpquota@kvs.gov.in
 Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Neeraj Shekhar** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **905** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	क्षीति सिंह	श्री अम्बुज सिंह Mob: 7011067751	9	बी.एच.यू. वाराणासी
2	नन्दनी तिवारी	श्री विनय कुमार तिवारी Mob: 9838284068	8	बी.एच.यू. वाराणासी
3	अन्वी सिंह	श्री नागेन्द्र पाल सिंह Mob: 9910691384	7	सेक्टर 24 नोएडा
4	किशन कुमार	स्व. श्री कवलेश कुमार Mob: 7398013147	7	बलिया
5	रुद्र प्रताप सिंह	श्री मनोज कुमार सिंह Mob: 9415212059	6	बी.एच.यू. वाराणासी
6	स्माइली सिंह	श्री सुजीत कुमार सिंह Mob: 7566568172	1	बलिया
7	हर्षित सिंह	श्री शिव विलास सिंह Mob: 8708034268	5	बलिया
8	अंशिका दविवेदी	श्री अजय दविवेदी Mob: 7380352641	5	नं. 2 FCI गोरखपुर
9	सुनिधि उपाध्याय	श्री भजनाथ उपाध्याय Mob: 9718272888	1	सेक्टर 24 नोएडा
10	हर्ष वर्धन सिंह	श्री मुकेश कुमार सिंह Mob: 9140227028	4	डी.एल.डब्लू. वाराणासी

कृ. प. उ.
 01/07/21

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Neeraj Shekhar माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **VARANASI/AGRA** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)